कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

(Transport Cell)
कचहरी रोड, रांची, पिन – 834001
e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :– 350/Trans   दिनांक:– 18/09/2023

इच्छा की अभिव्यक्ति

राँची नगर निगम द्वारा Amphibious Excavator Machine के द्वारा निगम क्षेत्र के जलाशयों के गाद को साफ कर निकाला जाना है (वर्त्तमान में बड़ा तालाब, राँची में कार्यरत)। जलाशय से निकलने वाला गाद उत्तम किस्म की उपजाऊ मिट्‌टी है, जिसका उपयोग कृषि, बागवानी अथवा भरावट के रूप में किया जा सकता है। उक्त गाद के सुरक्षित रूप से उठाव, परिवहन एवं अपने सुविधानुसार स्थल पर डम्प के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संवेदक इत्यादि से मुहरबन्द लिफाफे में नियम–शर्त्तो के अनुरूप अपना प्रस्ताव दिनांक 03.10.2023 को अपराह्न 03.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। विस्तृत जानकारी के लिए परिवहन कोषांग, राँची नगर निगम, राँची में सम्पर्क करे।

18/09/23

सहायक प्रशासक,
राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक 350/Trans राँची/ दिनांक 18/09/2023

प्रतिलिपि :
1. सामान्य शाखा, राँची नगर निगम, राँची को सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. श्री गुरूदयाल सिंह, P.E.S., राँची नगर निगम, राँची को निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगें।
3. श्री राजेश कुमार, आई0टी0 प्रभारी, राँची नगर निगम, राँची को निदेश दिया जाता है कि राँची नगर निगम के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।
4. प्रशासक, राँची नगर निगम को सादर सूचनार्थ समर्पित्त।

18/09/23

सहायक प्रशासक,
राँची नगर निगम, राँची।

इच्छा की अभिव्यक्ति

राँची नगर निगम द्वारा Amphibious Excavator Machine का क्रय किया गया है, जिसका संचालन संबंधित एजेन्सी M/s Cleantec Infra Pvt. Ltd. द्वारा किया जा रहा है। इस मशीन के द्वारा निगम क्षेत्र के जलाशयों के गाद को साफ कर निकाला जाना है (वर्त्तमान में बड़ा तालाब, राँची में कार्यरत)। जलाशय से निकलने वाला गाद उत्तम किस्म की उपजाऊ मिट्टी है, जिसका उपयोग कृषि, बागवानी अथवा भरावट के रूप में किया जा सकता है।

उक्त गाद के सुरक्षित रूप से उठाव, परिवहन एवं अपने सुविधानुसार स्थल पर डम्प के लिए इच्छुक व्यक्ति/संवेदकों/फर्म इत्यादि मुहरबन्द लिफाफे में नियम–शर्त्तो के अनुरूप अपना प्रस्ताव दिनांक 03.10.2023 को अपराह्न 03.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है, जिसे राँची नगर निगम, राँची के परिवहन कोषांग में जमा कराना सुनिश्चित करेंगें।

'इच्छा की अभिव्यक्ति' की विस्तृत नियम एवं शर्त्ते निम्न प्रकार हैः

1. गाद का उठाव करने वाले सभी प्रकार के वाहनों का दस्तावेज यथा बीमा, फिटनेस, प्रदुषण तथा अन्य अद्यतन होना अनिवार्य है।
2. गाद का उठाव एवं परिवहन करने में संलग्न सभी सुरक्षा उपकरण संबंधित (व्यक्ति/फर्म/संवेदक) के पास होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की दुर्घटना पर इसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित की होगी।
3. इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संवेदक की संख्या ज्यादा होने और निकलने वाले गाद की मात्रा कम होने पर वित्तीय प्रस्ताव मांगा जा सकता है।

सहायक प्रशासक,
राँची नगर निगम, राँची।